(182)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः 4137 /XVII-3/11-07(01)/2011

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 23 नवम्बर, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (आई0डी0एम0आई0 शतप्रतिशत केन्द्र पोषित) योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के क्रमशः पत्र दिनांक 23 मार्च, 2011, दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा 16 सितम्बर, 2011 **(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास"** (आई0डी0एम0आई0) योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में चयनित 20 मदरसों में अवस्थापना विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल रू0 590.44 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में कुल **रू0 02,95,20,000/– (रू0 दो करोड़ पिचानबे लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 584/XXVII(1)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशि हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. संस्था द्वारा अपने स्रोतों से व्यय धनराशि तथा भारत सरकार के मापदण्डों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं सचिव, मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून की होगी।

7. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

9. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इंगित समस्त शर्तें का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित संस्था/मदरसे की प्रबन्ध समिति को वितरित की जायेगी तथा संगत कार्यो की प्रगति एवं धनराशि के समुचित उपयोग के सम्बन्ध में निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

12. सम्बन्धित संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निमार्ण एजेंसी के साथ एम0ओ0 यू0 भी निष्पादित करेंगी। समस्त धनराशि (संस्था/मदरसे के 25 प्रतिशत के अंश सहित) पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित किये प्रस्ताव में इंगित मदों पर ही व्यय की जायेगी एवं निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

13. एम0ओ0यू0 में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार संस्था द्वारा वहन की जाने वाली 25 प्रतिशत राशि ब्योरा भी इंगित करते हुए निर्माण कार्य के प्रथम चरण की समय सारणी भी तय करनी होगी जिससे भारत सरकार को समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण प्रेषित करते हुए द्वितीय किश्त प्राप्त कर समस्त संस्तुतकार्य समय से पूर्ण किये जा सकें।

14. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं सचिव मुस्लिम एजुकेशन मिशन समय–समय पर निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण भी करेंगे, यदि कोई अनियमित्ता दृष्टिगत प्रतीत हो तो उसे निदेशालय के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0101–अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (100 प्रतिशत के0स0) के मानक मद–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः 245(P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्याः 1137 (1)/ **XVII-3/11-07(01)/2011** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वर/देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार/उधमसिंह नगर/देहरादून।
7. सचिव, मुस्लिम एजुकेशन मिशन,, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोज़न एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।